10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — 5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — CANCELLED

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र.

पुनर्रीक्षण याचिका कं. /2015

निगरानी 2340-I-15

1. सुरेश यादव आत्मज स्व. ईश्वरी प्रसाद यादव, उम्र लगभग 55 वर्ष, पेशा कृषि,
2. राम रतन यादव आत्मज स्व. ईश्वरी प्रसाद यादव, उम्र लगभग 50 वर्ष, पेशा कृषि,

दोनों निवासी– आदर्श नगर के पीछे, कटंगा,
ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, म.प्र. याचिकाकर्ता/अनावेदकगण

विरूद्ध

1. मेसर्स जी.एस. बी. कंस्ट्रक्शंस प्रायवेट लिमिटेड, द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर– सरदार गुरविंदर सिंह भसीन आत्मज स्व. श्री गुरमुख दास भसीन, निवासी– 635, नेपियर टाउन, गोरखपुर, जबलपुर
2. श्रीमती रूबल कौर पति श्री अमनदीप सिंह खन्ना, निवासी– आदर्श नगर, कटंगा, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, म.प्र. उत्तरार्थी/आवेदकगण

एडी० पी० तिवारी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
23 JUN 2015

523

पुनर्रीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

याचिकाकर्ता/अनावेदकगण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार गोरखपुर संभाग, जबलपुर के रा.प्र.क्र. 1/अ–70/2013–14, पक्षकर मेसर्स जी.एस. बी. कंस्ट्रक्शंस वि. रामरतन यादव एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8.6.2015 से दुखित होकर वर्तमान पुनर्रीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।

याचिका के तथ्य

1. यह कि, उत्तरार्थीगणों द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 250 म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 के तहत याचिकाकर्ता/अनावेदकगण के विरूद्ध स्थित भूमि

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2340-एक/15 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला जबलपुर**	